न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :– 22.01.2021

मिसल संख्या:– 386 / 2020

उनवानी प्रार्थना पत्र:–

1. शुभम अग्रवाल पुत्र श्री दिनेश अग्रवाल जाति महाजन निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. कुसुम पत्नि श्री दिनेश अग्रवाल जाति महाजन निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष–

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. एक्ट

निर्णय / आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि उनवानी प्रकरण मे माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 26.09.2020 को यह निर्णय दिया कि प्रार्थी की आराजी में पहुॅचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को रास्ते का अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी को चाहे जाने वाले रास्ते का खसरा नं. 213 में से रास्ते की लम्बाई 36 मीटर चौड़ाई 9.14 मीटर दी गई । उक्त प्रकरण में निवेदन है कि पूर्व रास्ते को 30 फिट चौडा व 9.14 मीटर लम्बा दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करे। प्रार्थी को आराजी खसरा नं0 213 में से लम्बाई 30 फिट व चौड़ाई 30 फिट की आवश्यकता है। ज्यादा लम्बा–चौड़ा रास्ते की आवश्यकता नहीं है। उक्त लम्बाई– चौड़ाई के हिसाब से जो भी डीएलसी बनेगी उसकी दुगनी प्रतिकर राशि जमा करने के लिए तैयार है। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय के निर्णय में पुनर्रावलोकन किया जाकर निर्णय दिनांक 25.09.2020 में संशोधन कर व प्रार्थी को 30 लम्बा व 30 चौड़ाई का रास्ता दिलवाने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार देवली की ओर से जवाब / रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है:–प्रार्थी को अपनी आराजी में पहुॅचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी की आवश्यकता अत्यधिक है। प्रस्तावित रास्ते की

[illegible] 16 मी0 तथा चौड़ाई 9.14 मी0 कुल क्षेत्रफल 146.24 वर्ग मीटर होगा । प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान डीएलसी दर 4101078 रू0 है0 है जिसकी एक गुना राशि 59975 रू0 होगी तथा दुगुनी दर से प्रतिकर राशि 119950 रू0 होगी। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ख0नं0 213 में से रास्ता चाहता है जिसे लाल स्याही से चिन्हित कर दिया है जिसका नक्शा ट्रेस संलग्न है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना, पेड़ आदि नहीं है। अप्रार्थी उक्त रास्ता देने हेतु सहमत नहीं है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुर्र रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। अतः रिपोर्ट मय नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, खसरा गिरदावरी एवं डीएलसी दर की छाया प्रति के श्रीमान जी की सेवा में साद्र प्रस्तुत है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.09.2020 में प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 213 में रास्ते की लम्बाई त्रुटिवश 36 मीटर हो गई और इसी कारण न्यायालय ने भी 36 मीटर रास्ते की तरमीम हेतु तहसीलदार को आदेशित कर दिया। जबकि प्रार्थी को केवल 30 फिट चौड़ा व 30 फीट लम्बाई अर्थात 9.14 मीटर रास्ते की आवश्यकता है। इस हेतु माननीय न्यायालय में पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसे स्वीकार किया जावे।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र बाबत कोई आपति प्रकट नहीं की।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.09.2020 में संशोधन चाहता है। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.01.2021 व इस प्रार्थना पत्र बाबत कोई आपति नहीं की। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ता खसरा नम्बर 213 में जिसकी चौड़ाई 9.14 मीटर एवं लम्बाई 16 मीटर अर्थात 146.24 वर्गमीटर क्षैत्रफल के रास्ते की तरमीम प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि 119950/— अथवा वर्तमान डी. एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, की गई पालना सहित रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश 15 दिवस में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
देवली